

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
शुद्धि पत्र

विभागीय अधिसूचना संख्या-3965 दिनांक-16.09.16 द्वारा श्रम सेवा संवर्ग के पुनर्गठन के पश्चात योजना एवं गैर योजना के तहत कटिहार जिले को प्रेषित सभी आवंटनादेशों में (जिला पदाधिकारी, कटिहार को प्रेषित आवंटन को छोड़कर) कार्यालय का नाम सहायक श्रमायुक्त पूर्णियाँ प्रमंडल, कटिहार तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम सहायक श्रमायुक्त, पूर्णियाँ मुख्यालय कटिहार पढ़ा जाय ।

2. विभागीय आवंटनादेश संख्या-96 दिनांक-04.11.16 जो मुख्यशीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार -01-श्रम-राज्य योजना-103-सामान्य श्रम कल्याण- मांग संख्या-26 उपशीर्ष-0103-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड- पी 2230011030103)के अन्तर्गत निधि के आवंटन से संबंधित है, के आवंटनादेश के साथ संलग्न विवरणी के-

(i) क्रम संख्या-06 में अंकित कार्यालय का नाम उप श्रमायुक्त, पूर्णियाँ के जगह सहायक श्रमायुक्त, पूर्णियाँ प्रमण्डल पढ़ा जाय ।

(ii) क्रम संख्या-10 में अंकित कार्यालय के नाम सहायक श्रमायुक्त सीवान के जगह श्रम अधीक्षक, सीवान पढ़ा जाय ।

3. अतः उक्त आवंटनादेशों को इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

4. आवंटनादेशों की शेष बाते यथावत् रहेगी ।

ह०/-

(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक- 6/एफ1-305/16 श्र०स०-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह०/-

(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक- 6/एफ1-305/16 श्र०स०-

82

पटना, दिनांक- 11-1-17.

*स्पीड पोस्ट

प्रतिलिपि- संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/ सहायक श्रमायुक्त, पूर्णियाँ मुख्यालय कटिहार/श्रम अधीक्षक, सीवान-01/आई.टी. मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा-6,श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

11/1/17

(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।